न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 34/2012

1. नसीम बेवा
2. अब्दुल अजीज पुत्र
3. अब्दुल कलीम पुत्र
4. मो0 फारूख पुत्र
5. अनवर पुत्र
6. नाजो पुत्री

अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी सीसवाली हाल मुकाम कोटा

—वादीगण

बनाम

1. अकबर पुत्र ईलाही बक्श जाति मुसलमान निवासी पुरानी मण्डी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आराजी बंटवारा

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री हरीश राजावत
वकील प्रतिवादी : श्री लिहाज हुसैन
दायरा दिनांकः 20.03.2012 निर्णय दिनांक : 22.06.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण का पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार से हैः—

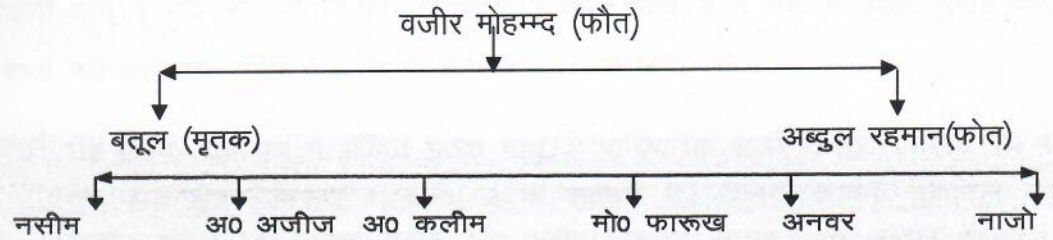

नूर मोहम्मद वादीगण के पिता की शामलाती खाते की आराजी वाके माल उदपुरिया में खसरा नं0 311 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा स्थित है, जिसमें खातेदार नूर मोहम्मद व वजीरा पि0 नाथू जाति मुसलमान साकिन सीसवाली है, जिसमें वजीरा का हिस्सा 1/2 नियत है। जिसकी जमाबंदी सम्वत 2014 से 2023 वादी पत्र के साथ पेश की जा रही है। तथा जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 एवं जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024, सम्वत 2025 से 2028 सम्वत 2029 से 2032 राजस्व रेकार्ड वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा है, जो इस वाद पत्र का अभिन्न अंग है। ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 620 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा

कि वादीगण के दादा का नाम वजीर मोहम्मद हिस्सा बराबर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो रहा है, तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के पिता का नाम हिस्सा 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका राजस्व जमाबंदी सम्वत 2012 से 2025 सम्वत 2018 से 2021 सम्वत 2014 से 2023 सम्वत 2010 से 2013 सम्वत 2026 से 2029 तथा सम्वत 2030 से 2033 पेश है। वाद पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त आराजी वादीगण के पिता व दादा की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 नियत है, लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ने सेटलमेंट विभाग से मिलकर उक्त आराजी पर अपना नाम दर्ज करवा लिया जिसका कि उसको किसी प्रकार का अधिकार हांसिल नही है, तथा सेटलमेंट विभाग को किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार देने का आदेश एक्ट नही है। उक्त ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल के खसरा नं0 के सेटलमेंट बाद नये खसरा नं0 145 रकबा 1.34 है0 वाके माल सीसवाली तहसील मांगरोल खसरा नं0 1337 रकबा 0.71 है0 कायम किये गये है। जिसकी मिलान क्षैत्रफल की नकल नयी जमाबंदी वादी पत्र के साथ पेश की जा रही है। उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 को भी सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज कर दी है जिसका वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रकरण में दर्ज आराजी में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी प्रतिवादीगण नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.03.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लिहाज हुसैन ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता श्री लिहाज हुसैन ने प्रतिवादी कम 1 की ओर से दिनांक 15.06.2012 को जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी कम 1 ने अंकन किया कि:-

01. यह है कि वाद पत्र में अंकित मृतक नाथू के पारिवारिक शजरे में नूर मोहम्मद एवं वजीरा दोनो **पुत्र हाल मृतक हिस्सा 1/2-1/2 के हकदार है। जिनके कायमी मुकामान कमशः मृतक वजीरा के वारिस कमशः बतूल बेवा वजीर मोहम्मद (मृतक) एवं अब्दुल रहमान पुत्र वजीर मोहम्मद(मृतक) इनके भी कायमी मुकामान हाल वादीगण कमशः एक लगायत छः (नसीम बेवा** अब्दुल अजीज, अब्दुल कलीम, मो0 फारूख, अनवर, पुत्र एवं नाजो पुत्री अब्दुल रहमान) हिस्सा 1/2 होना स्वीकार है। साथ ही मृतक नूर मोहम्मद के कायमी मुकाम करीमन बेवा नूर मोहम्मद (मृतक) के कायमी मुकामान हलीमा उर्फ हसीना पुत्री (मृतक) के कायमी मुकामान अकबर अली पुत्र ईलाही बक्श (हलीमा का पति/करीमान का दामाद) हिस्सा 1/2 के हकदार

यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 व 3 स्वीकार की है।

यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।

एवं विशेष आपत्तियां व काउण्टर क्लेम में करीमन बेवा नूर मोहम्मद के दो पुत्री हलीमा व जमीला थी। जिसमें हलीमा पत्नि अकबर अली ने करीमन की सेवा चाकरी की जिससे खुश होकर करीमन बेवा नूर मोहम्मद ने उदपुरिया व ग्राम सीसवाली की आराजी 1/2 की वसीयत अपनी पुत्री हलीमा उर्फ हसीना पत्नि अकबर अली के नाम दिनांक 02.02.1981 को कर दी। जिस पर करीमन के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकार्ड में हलीमा उर्फ हसीना पत्नि अकबर अली का नाम हिस्सा 1/2 में दर्ज किया गया। बतूल बेवा वजीर मोहम्मद व अब्दुल रहमान पुत्र वजीर मोहम्मद ने 1/2 हिस्से को दिनांक 03.02.1981 को अकबर पुत्र ईलाही बक्श को बेचान करना बताया है। और सेटलमेंट के वक्त भूमि सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर अपना हिस्सा 1/2 ग्राम उदपुरिया विक्रय पत्र के **आधार पर अकबर पुत्र ईलाही बक्श के नाम दर्ज करवा दिया। और शेष 1/2 हिस्सा जो वसीयत के आधार पर हलीमा पुत्री करीमन पत्नि अकबर अली के नाम दर्ज था उसकी मृत्यु के उपरान्त 1/2 हिस्सा भी अकबर पुत्र ईलाही बक्श के नाम दर्ज कर दिया।**

अतः जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज किया जावे व प्रतिवादी नं0 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम उदपुरिया की आराजी खसरा नं0 145 रकबा 1.34 है0 पर व ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 1337 रकबा 0.71 है0 पर वादीगण किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी नही करें और शांति पूर्वक काश्त करने देवे। एवं प्रतिवादी नं0 1 को ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 1337 रकबा 0.71 है0 का खातेदार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम अमल दरामद किया जावें।

वादीगण की ओर से दिनांक 03.07.2012 को उक्त जवाब दावा व काउण्टर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसारः—

01. काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 स्वीकार है
02. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं0 2 अस्वीकार है। वादीगण को किसी प्रकार की जानकारी नही है तथा कभी भी प्रतिवादी ने वादीगण की सेवा आदि नही की है।
03. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 3 अस्वीकार है। खातेदारान ने कभी भी किसी के पक्ष में बेचाननामा नही किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा फर्जी एवं झूठां है। मात्र प्रतिवादी ने

कर्मचारियों से मिलकर खातेदारान की मात्र विवादित आराजी अपने नाम दर्ज करवाई है जिससे नाम खारिज होने योग्य है तथा आराजी पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

04. यह कि काउन्टर क्लेम की मन नं0 4 अस्वीकार है। ग्राम सीसवाली की आराजी में वादीगण के पिता के नाम बतौर खातेदार अंकित है जिसका भी इंतकाल खुलवाने की कार्यवाही की हुई है। तथा अपने पिता की जगह वादी अपने आपको खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

05. यह कि काउन्टर क्लमें की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रतिवादी ने झूठें तथ्यों के आधार पर सही तथ्यों को छुपाते हुये काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है

06. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 6 अस्वीकार है।

07. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 7 कानूनी है।

जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी द्वारा वाद पत्र के संलग्न राजस्व ग्राम उदपुरिया के सम्बंध मे निम्न प्रकार राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिया संलग्न की गयी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044 लगायत 2063 साबिक खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 1.34 है0 बने है।

क0 सं0	नाम ग्राम	सम्वत	नाम रेकार्ड	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा
01	उदपुरिया	2010–2013	जमाबंदी चौशाला	93	नूर मोहम्मद व वजीरा पि0 नाथू मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
02	उदपुरिया	2015–18	जमाबंदी चौशाला	100	नूर मोहम्मद व वजीरा पि0 नाथू मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
03	उदपुरिया	2021–24	जमाबंदी चौशाला	74	नूर मोहम्मद व वजीरा पि0 नाथू मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
04	उदपुरिया	2025–28	जमाबंदी चौशाला	71	नूर मोहम्मद व वजीरा पि0 नाथू मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
05	उदपुरिया	2014–2023	खतौनी बन्दोबस्त	–	नूर मोहम्मद व वजीरा पि0 नाथू मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
06	उदपुरिया	2029–2032	जमाबंदी चौशाला	28	करीमन बेवा नूर मोहम्मद हि0 1/2 अब्दुल रहमान पुत्र वजीर मु0 बतूल बेवा वजीर हिस्सा 1/2 मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
07	उदपुरिया	2033–2036	जमाबंदी चौशाला	38	करीमन बेवा नूर मोहम्मद हि0 1/2 अब्दुल रहमान पुत्र वजीर मु0 बतूल बेवा वजीर हिस्सा 1/2 मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	311	8 बीघा 17 बिस्वा
08	उदपुरिया	2037–2040	जमाबंदी	29	करीमन बेवा नूर मोहम्मद हि0 1/2 अब्दुल	311	8 बीघा 17 बिस्वा

			चौशाला		रहमान पुत्र वजीर मु0 बतूल बेवा वजीर हिस्सा 1/2 मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली		
[illegible]	उदपुरिया	2063–2066	जमाबंदी चौशाला	2	अकबर पुत्र ईलाही बक्श मुसलमान नि0 ग्राम सीसवाली	145	1.34 है0

एवं ग्राम उदपुरिया का नामान्तकरण संख्या 314 निर्णय दिनांक 05.06.2006 द्वारा हलीमा जोजे अकबर फौत हो जाने से मात्र अकबर पुत्र ईलाही बक्श अकेला खातेदार रहा। साथ ही वकील प्रतिवादी कम 1 द्वारा अनरजिस्टर्ड सादा विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1981 भी शामिल फाईल है।

पत्रावली में निम्न तनकीयात कायम की गई:–

01. आया वादी के दादा वजीरा की खाते की आराजी वाके माल उदपुरिया/सीसवाली की आराजी में 1/2 हिस्सा शामलाती रूप से दर्ज है। वादीगण
02. आया खातेदार वजीर की मृत्यु के बाद के बाद वादीगण के पिता के नाम दर्ज हो गया तथा बाद सेटलमेंट विभाग ने वादीगण का नाम दर्ज नही कर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया हैं। वादीगण
03. आया वादीगण विवादित आराजी ग्राम उदपुरिया/सीसवाली की पुश्तैनी आराजी है तथा वादीगण अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण
04. आया विवादित आराजी ग्राम उदपुरिया की आराजी वादीगण के पिता ने प्रतिवादी को बेचान कर दिया है तथा दौराने सेटलमेंट वादी के पिता ने सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर खाते दर्ज करवा दी तथा ग्राम सीसवाली की आराजी का बेचान कर कब्जा सम्भला दिया है। प्रतिवादी कम 1
05. आया वादीगण दिनांक 18.01.1980 को अपना हिस्सा 1/2 तर्क कर दिया है इसलिए प्रतिवादी ग्राम सीसवाली की आराजी का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1
06. दादरसी

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। जवाब वादी, जवाब प्रतिवादी कम संख्या 1 एवं काउन्टर क्लेंम एवं जवाब उल जवाब वादी एवं प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जवाब एवं संलग्न दस्तावेजो का मनन किया। प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता वादी की दिनांक 22.06.2018 को बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री हरीश राजावत व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता श्री लिहाज हुसैन प्रतिवादी कम 2 ने अपनी–अपनी बहस/रिपोर्ट में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जिसे उन्होने क्रमशः अपने दावा व जवाब दावा में अंकन किया है।

तनकी नं0 1– वादीगण नसीम बेवा अब्दुल रहमान, अब्दुल अजीज, अब्दुल कलीम मो0 फारूख, ... पुत्र अब्दुल रहमान, नाजो पुत्री अब्दुल रहमान के दादा वजीरा हिस्सा 1/2 व नूर मोहम्मद हिस्सा ... नाथू मुसलमान निवासी सीसवाली (ग्राम उदपुरिया में पुराने खसरा नं0 311 रकबा 8 बीघा 17 ... में हाल खसरा नं0 145 रकबा 1.34 है0) संलग्न नकल मुताबिक जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम उदपुरिया सम्वत 2015–2018 खाता संख्या 100 के भली प्रकार सिद्ध हो रहा है। अतः यह तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नं0 2 व 3– खातेदार वजीर की मौत के बाद मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2029–2032 ग्राम उदपुरिया के रिकॉर्ड में वादीगण का पिता अब्दुल रहमान पुत्र वजीर का नाम विरासत में अंकित हो गया। तदोपरान्त भू–प्रबंध विभाग ने बिना किसी आधार के उक्त पुश्तैनी जायदाद में से वादीगण का नाम हिस्सा 1/2 में से हटाकर सीधा 1/2+1/2 कुल सम्पूर्ण खाता प्रतिवादी के हित में कर दिया जिसका कि उसे कोई विधिक अधिकार नही था। भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल ने भी अपने जवाब में इसकी पुष्टि की है। प्रतिवादीगण का जवाब दावे में कथन है कि वादीगण के पिता व दादी ने प्रतिवादी क्रम संख्या 1 को दिनांक 03.02.1981 को एक सादा स्टाम्प रू0 250 पर सादा बैचान पत्र लिखकर सेटलमेंट विभाग में देकर प्रतिवादी के खाते दर्ज कराई थी।

इस कृत्य को जवाब भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल ने भी विधि संगत होना नही बताया बल्कि विक्रय पत्र भली प्रकार स्टांम्प ड्यूटी पर तैयार कर तत्कालीन उपपंजीयक मांगरोल द्वारा राजस्थान पंजीयन एक्ट 1908 की धारा 60 के तहत विधिवत प्रमाणित शुदा होना चाहिए था इस प्रकार इस सादा अन–रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1981 को राजस्व न्यायालय के दृष्टि कोण से विधिक एवं प्रमाणिक दस्तावेज नही माना जा सकता है।

इस प्रकार उक्त भूमि का पुश्तैनी होना और वादीगण के हिस्सा 1/2 का इन्द्राज पूरा–पूरा प्रतिवादी कम 1 के हक में विधि विरूद्ध होना भली प्रकार ताईद होने से तनकी नं0 2 व 3 वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी नं0 4 व 5– तनकी नं0 2 व 3 में विस्तृत विवेचन हो चुका है। मुताबिक वाद पत्र, संलग्न दस्तावेज, जवाब सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल के अनुसार जो वादीगण का हिस्सा 1/2 ग्राम उदपुरिया का जर्ये सादा स्टाम्प अन–रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 03.02.1981 द्वारा वादीगण के पिता एवं दादी द्वारा प्रतिवादी के हक में सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष संभलाने का जो कथन है वह विधि अनुकूल नही है। जहां तक बैचान का प्रश्न है वह निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पर बैचान पत्र लिखकर संबंधित उपपंजीयक द्वारा पंजीयन एक्ट धारा 60 के तहत प्रमाणित दस्तावेज बनाने पर ही मुताबिक राजस्थान पंजीयन एक्ट 1908 के तहत वैध एवं प्रामाणिक होता है। सादा कागज/स्टाम्प को राजस्व न्यायालयों के

[illegible] विधि के तहत वैध विक्रय पत्र नही माना जा सकता। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष [illegible] की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं उपरोक्त वर्णित तनकीवार विस्तृत विवेचन का आद्योपान्त मनन के उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल के वर्तमान जमाबंदी में अंकित अकेले खातेदार अकबर पुत्र ईलाही बक्श जाति मुसलमान साकिन सीसवाली के नाम खसरा नं0 145 रकबा 1.34 है0 किस्म नहरी प्रथम के स्थान पर वादीगण क्रम संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 कायम किया जाता है। तदनुसार क्रमशः नसीम बेवा अब्दुल रहमान अब्दुल अजीज, अब्दुल कलीम, मोहम्मद फारूख, अनवर पुत्र अब्दुल रहमान व नाजो पुत्री अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी सीसवाली हाल मुकाम वक्फ बोर्ड कॉलोनी कोटा हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 1 अकबर पुत्र ईलाही बक्श जाति मुसलमान साकिन सीसवाली हिस्सा 1/2 का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।